संक्षेप मे विवरण:

1–दिव्यांग पेंशन योजना–

इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांग व्यक्ति को रू0 300 प्रतिमाह की दर से पेंशन की धनराशि दी जाती है जिसमें न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए तथा वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 तथा शहरी क्षेत्र मे रू 56460 से अधिक नही होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग पेंशन आवेदन के साथ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव तथा शहरी क्षेत्र के दिव्यांग पेंशन आवेदन पर संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी की संस्तुति होनी चाहिए। यह योजना पूर्णतया आनलाइन है तथा अभ्यर्थी को स्वयं www.sspy.gov.nic.in पर जाकर अपना आवेदन करना होता है।

2–कृत्रिम उपकरण योजना:

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत होनी चाहिए तथा किसी सरकारी अस्पताल के डाक्टर की संस्तुति होनी चाहिए तथा दिव्यांग की वार्षिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 तथा शहरी क्षेत्र मे रू 56460 से अधिक नही होनी चाहिएं।

3–कुष्ठावस्था पेशन योजना:

इस योजना के अन्तर्गत जिला कुष्ठ रोग अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस योजना के अन्तर्गत 2500 प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन की धनराशि दी जाती है। अन्य शर्ते दिव्यांग पेशन वाली होती है।

4–शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग युवक से सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर 15000 व दिव्यांग युवती से सामान्य युवक द्वारा या युवक/युवती दोनों के दिव्यांग होने पर रू0 20000 की धनराशि दी जाती हैं। विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य हैं। दिव्यांग की मासिक आय निर्धारित गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080 तथा शहरी क्षेत्र मे रू 56460 से अधिक नही होनी चाहिएं।

5–दुकान का संचालन एवं निर्माण योजना:

इस योजना के अन्तर्गत गुमटी, ठेला क्रय हेतु रू0 10000/दिया जाता हैं जिसमे से रू0 7500 ऋण की धनराशि व रू0 2500 अनुदान की राशि दी जाती है। इस योजना मे ऋण की धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाभार्थी को देना होता है तथा विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

जिला दिव्यांग जन विकास अधिकारी
गौतमबुद्धनगर